निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 4/2025
दायरा दिनांकः–13.01.2025
निर्णय दिनांकः– 22.4.25

उनवान

1. चाहना मीणा उर्फ विनीता आयु 22 वर्ष पुत्री चम्पालाल निवासी परोलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 22.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री दयाचन्द कुशवाह प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम परोलिया पटवार हल्का निपानिया तहसील छबडा में खाता संख्या 70 की खसरा नंबर 218 रकबा 0.1138 है०, खसरा नंबर 466/204 रकबा 0.3794 है०, खाता संख्या 167 की 142/460 रकबा 1.7578 है०, खाता संख्या 31 की खसरा नंबर 210 रकबा 0.5438 है०, खसरा नंबर 232 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 247 रकबा 0.1644 है०, खसरा नंबर 465/140 रकबा 1.8970 है०, खाता संख्या 30 की खसरा नंबर 147 रकबा 0.5059 है०, खसरा नंबर 199 रकबा 0.2023 है०, खाता संख्या 139 की खसरा नंबर 450 रकबा 2.7569 है०, खाता संख्या 69 की खसरा नंबर 204 रकबा 1.2646 है०. खाता संख्या 68 की खसरा नंबर 128/1 रकबा 1.0623 है०, खाता संख्या 163 की खसरा नंबर 225 रकबा 1.2520 है० भूमि दर्ज जमाबंदी अवस्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी अपने हिस्से में प्रत्यक्ष रूप से काश्तकार है। उक्त आराजी में इन्द्राज वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम व पिता का नाम विनिता नाबालिग पुत्री चम्पालाल जाति मीणा दर्ज है। उक्त खाते में जमाबंदी में खातेदार/प्रार्थीया का बोलता नाम विनिता राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम चाहना मीणा है। प्रार्थीया को इसी नाम से जाना जाता है और प्रार्थीया के पिता का नाम चम्पालाल और माता का नाम धापूबाई है। जो कि अंकतालिका एवं अन्य

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दस्तवेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड में चाहना मीणा अंकित है, सभी वैध दस्तावेज में चाहना मीणा। अंकित है। प्रार्थीया वर्तमान में बालिग है और प्रार्थीया ने कई बार राजस्व कर्मचारियों से भी इस बाबत् निवेदन किया। जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सही दर्ज नहीं होने से अनैका सुविधाएं होती है। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम चाहना मीणा अंकित किया जावे तथा नाबालिग शब्द भी हटाया जावे। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने सक्षम न्यायालय में लिखित आदेश लाने को कहा। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अपना सही नाम चाहना मीणा दर्ज कराने की कानूनन अधिकारी है। इस बाबत् माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नहीं होने के कारण ही प्रार्थीया को कई राज कार्य में असुविधा हो रही है। प्रार्थीया बैंक से के०सी०सी० लेने तथा मुआवजा राशि लेने, सहकारी बनवाने में असुविधा हो रही है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सकरार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 139 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता 69 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता 68 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 30 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 31 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 167 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 70 नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता 163 नकल नामान्तरण संख्या 639 ग्राम परोलिया पेश किया गया। फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र चाहना मीना जन आधार कार्ड आधार कार्ड चाहना मीना परिवार राशन कार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 की अंक तालिका मृत्यु प्रमाण पत्र चम्पालाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम व पिता का नाम विनीता नाबा0 पुत्री चम्पालाल जाति मीणा दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के बोलता नाम विनिता दर्ज कर दिया हे जबकि प्रार्थीया का सही नाम चाहना मीणा है प्रार्थीया को इसी नाम से जाना जाता है प्रार्थीया बालिग हे और प्रार्थीया ने कई बार अपना नाम सही कराने हुत निवेदन किया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही नाम दर्ज नही होने से अनेक असुविधाए होती है प्रार्थीया का सही नाम चाहना मीणा अंकित किया जावे। जथा नाबा0 को बालिग दर्ज किया जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम परोलिया में मजमें आम में उपस्थित हुआ उपस्थित मोतबिरान के प्रकरण संख्या 4/25 में दर्ज चाहना मीणा उर्फ विनिता के नाम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की। उपस्थित मोतबीरान ने बताया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की प्रार्थीया विनिता उर्फ चाहना मीणा को ग्राम में दोनो ही नामों से जाना जाता है उक्त नाम एक ही महिला के है प्रार्थीया के काकाजी रामप्रसाद पुत्र लटुरलाल जाति मीणा ने बताया कि विनिता का बोलता नाम चाहना है प्रार्थीया को गांव में विनिता व चाहना दोनो नामों से जाना जाता है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया तहसील छबडा में स्थित है। सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 139,69,68,30,31,167,70,163, में नाबालिग विनिता पुत्री चम्पालाल दर्ज है प्रार्थीया का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है नकल नामान्तरण संख्या 639 मृतक चम्पालाल का फोती नामान्तरण दर्ज किया गया। जिसमें मृतक के सजरा अनुसार प्रहलाद कुलदीप पुत्र विनिता नाबालिग पुत्री बेवा धापू बाई दर्ज है नामा संख्या 639 चम्पालाल का फोती नामान्तरण दज्र करतें समय प्रार्थीया का नाम नाबा विनिता दर्ज किया गया। तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम विनिता दर्ज चला आ रहा है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात अंक तालिका आय प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम चाहना मीणा दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया के पिता चम्पालाल के फोत होने पर फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थीया के बोलता नाम से नामान्तरण दर्ज किया गया है जबकि तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का सही नाम चाहना मीणा है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 450 रकबा 2.7569 है0 खसरा नम्बर 204 रकबा 1.2646 है0 खसरा नम्बर 128/1 रकबा 1.0623 है0 खसरा नम्बर 147 रकबा 0.5059 है0 खसरा नम्बर 199 रकवा 0.2023 है0 खसरा नम्बर 210 रकबा 0.5438 है0 खसरा नम्बर 232 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 247 रकवा 0.1644 है0 खसरा नम्बर 465/140 रकबा 1.8970 है0 खसरा नम्बर 142/460 रकबा 1.7578 है0 खसरा नम्बर 218 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 466/204 रकबा 0.3794 है0 खसरा नम्बर 225 रकबा 1.2520 है0 में दर्ज नाबालिग विनिता के स्थान पर बालिग विनिता उर्फ चाहना मीणा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा